तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/10/23	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/11/23 को पेश हो।	
30/11/23	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/01/24 को पेश हो।	
30/01/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनु०। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आईन्दा दिनांक 19/03/24 को पेश हो।	
19/03/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। वादी वकील ने No Instruction किया है वो इस वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे संख्या से कम हो।	R/O-Imst 19/3/24

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2022/७५५ दिनांक :– 17.06.2022

प्रेषित :– तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ।

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 1753/2015 अनवान मांगीलाल वगैरा बनाम जगदीश वगैरा अन्तर्गत राज. काश्त. अधिनियम की धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– इस कार्यालय में आदेश क्रमांक रीडर/2019/36 दिनांक 10.01.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त राजस्व आवेदन में प्रार्थी को अपने खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि मौजा गौड़ा पटवार क्षेत्र गौड़ा भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 688/281 रकबा 01.00 बीघा किस्म बारानी सोयम में आने जाने के लिए विप्रार्थी के खेत से रास्ता दिया जाना है। अतः आप मौके पर जाकर वर्तमान मौका स्थिति की जांच कर रास्ते में आने वाले किमती पेड़ो, मकान आदि का विवरण देते हुए रास्ते के लिए भूमि का विवरण सलंग्न प्रपत्र में तैयार कर मौका रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2022 से पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस हेतु आपको पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है परन्तु मौका रिपोर्ट आज दिनांक तक अप्राप्त है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदीश वगैरा	698/284	07.05 बीघा	20 फिट		गौड़ा		—

मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट टिप्पणी उल्लेखित की जावे की प्रार्थीगण/विपार्थीगण द्वारा आवेदन में प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर आवेदन में प्रार्थी द्वारा रास्ते की चौड़ाई के कॉलम सं. 5 में रास्ते की चौड़ाई अंकित की जावे तथा मौका फर्द में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा